10.05.2020

Dr. purnima Singh
Department of Political Science.
B.A part. II paper III Indian Government and politics. Topic - Constitution-3
Lecture-48

संविधान की अन्तरात्मा (Political philosophy underlying the Constitution)

भारतीय संविधान के आधारभूत तत्व

1. कानून का शासन (Rule of law) - भारत में कानून का शासन स्थापित है। कानून के शासन का प्रतिपादन इंग्लैंड के प्रसिद्ध विद्वान प्रो० डायसी (Dicey) ने अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक 'The Law of the Constitution' में किया है। यद्यपि भारतीय संविधान के मूल सिद्धान्त में कहीं पर भी विधि सम्मत शासन शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है।

फिर भी उसके तीन प्रमुख सिद्धान्तों में कानून के समक्ष समानता का सिद्धान्त सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक में समानता के मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 14 सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 14 के अधीन कानून के समक्ष समानता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 14 भारत में निवास कर रहे सभी व्यक्तियों पर लागू होता है, जबकि अनुच्छेद 15 से 18 केवल भारत के नागरिकों पर लागू होते हैं। 'इन्द्रा साहनी' नामक मुकदमे में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 14 के तहत दिए गए समानता के अधिकार को संविधान का मुख्य सिद्धान्त घोषित किया था।

(2) समानता का सिद्धान्त (Principle of Equality)

भारतीय संविधान में समानता शब्द का अर्थ दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को कोई विशेष अधिकार नहीं दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति ऊँच-नीच का भेदभाव किए बिना देश के सामान्य कानून के अधीन और सामान्य न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत है। कानून प्रधानमन्त्री और सामान्य व्यक्ति अथवा कैबिनेट सचिव और साधारण क्लर्क में कोई अन्तर नहीं करता है।

भारतीय संविधान के समता के सिद्धान्त में 'कानून का समान संरक्षण' भी शामिल है। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति समान परिस्थिति में है उन पर एक समान कानून लागू होंगे। इस सिद्धान्त को समानता का सकारात्मक सिद्धान्त (Positive Concept) कहा जाता है।

3. संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धान्त (Supremacy of the Constitution) — संविधान की सर्वोच्चता भी भारतीय संविधान का आधारभूत तत्व है। संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि "भारत राज्यों का संघ होगा" (India is a union of States). केन्द्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन किया गया है। केन्द्र और राज्यों में अलग-अलग सरकार होती है। यदि केन्द्र और राज्यों में शक्तियों के विभाजन के बारे में कोई विवाद पैदा हो जाता है तो उसका निर्णय / निपटारा न्यायपालिका संविधान के नियमों के अनुसार करती है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अन्तिम होता है। उच्चतम न्यायालय के अनेक मुकदमे जैसे 'पश्चिमी बंगाल राज्य बनाम भारत संघ', 'राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ', 'हरियाणा राज्य बनाम पंजाब राज्य', 'एस० आर० बोम्मई

बनाम भारत संघ में संविधान के इस सिद्धान्त को आधारभूत तत्व घोषित किया है कि संविधान सर्वोच्च है, इसका उल्लंघन करना गैर-कानूनी है।

4. संघात्मक शासन व्यवस्था (Federal Govt.) – भारत में संघात्मक प्रणाली अमेरिका की संघात्मक प्रणाली से मेल नहीं खाती। राज्यों का अपना संविधान नहीं है। वे केन्द्र सरकार से अलग नहीं हो सकते। संविधान के अनुच्छेद 3 के अधीन यह भी कहा गया है कि संघ राज्यों की सीमा बदल सकता है। दो राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकता है, सन् 2000 में संघ ने उत्तर प्रदेश से उसके पर्वतीय क्षेत्र को अलग कर उत्तरांचल, बिहार से झारखण्ड और मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ नामक नए राज्य बनाए मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई कर दिया गया। संसद सब कुछ करती है, लेकिन संघात्मक स्वरूप समाप्त नहीं कर सकती।

5. प्रभुसत्ता सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य (Sovereign Democratic Republic) – भारतीय संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया था। जिस सभा ने संविधान का निर्माण किया था, वह मन्त्रिमं-डल योजना के तहत हुआ था। लेकिन 11 दिसम्बर 1946 को उस संविधान सभा के अध्यक्ष चुने जाते ही डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने सार्वजनिक रूप से यह घोषणा कर दी थी कि इस संविधान सभा के ऊपर किसी दूसरी शक्ति या सत्ता का नियन्त्रण बिल्कुल भी नहीं रहेगा। यहाँ तक कि मन्त्रिमंडल मिशन अथवा ब्रिटिश राजसत्ता का भी नहीं। इसके साथ यह भी ध्यान रखना होगा कि उस संविधान सभा ने जिस मौजूदा संविधान की रचना की है वह पूरी तरह पूर्ण रूप से प्रभुत्व सम्पन्न है।

क्योंकि उसके ऊपर कोई दूसरी सत्ता नहीं है, वह पूरी तरह स्वतन्त्र है।

भारतीय संविधान सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न होने के साथ लोकतन्त्रात्मक भी है। इसका अर्थ यह है कि भारत का शासन वयस्क मताधिकार के अधीन जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता है। देश का मुखिया (राष्ट्रपति) लोगों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित समय के लिए चुना जाता है।

6 संसदीय शासन प्रणाली (Parliamentary Govt.)

संविधान ने केन्द्र और राज्यों में संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की है। यह इंग्लैंड के Westminster नमूने पर आधारित है। इसके अधीन राष्ट्रपति के निर्वाचित होने पर भी वह देश का वास्तविक शासक नहीं होता। वह देश का संवैधानिक मुखिया होता है। शासन चलाने का उत्तरदायित्व मन्त्रिपरिषद का होता है जिसका मुखिया प्रधानमन्त्री होता है। मन्त्रिपरिषद अपने कार्यों और नीतियों के लिए लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मन्त्रिपरिषद अपने पद पर तब तक रहती है जब तक उसे लोक सभा में बहुमत का समर्थन मिलता रहता है। 17 अप्रैल, 1999 में वाजपेयी मन्त्रिमंडल ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था, क्योंकि उसने (मन्त्रिमंडल) लोक सभा से विश्वास का मत खो दिया था।